भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4655
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य डेटा पारदर्शिता और अभिगम्यता

†4655.डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के वर्ष 2024 तक के अद्यतन आंकड़ों और मातृ-मृत्यु अनुपात (एमएमआर) जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों को जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और जन-स्वास्थ्य पहलों में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आंकड़ों का समयबद्ध और पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु और किशोर स्वास्थ्य-सह-पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) रणनीति जैसी पहलोंपर उक्त विलंब का क्या प्रभाव पड़ रहा है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लगभग तीन वर्षों की आवधिकता के साथ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नामक एक एकीकृत सर्वेक्षण संचालित करता है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा संबंधित डोमेन जैसे जनसंख्या की विशेषताएं; प्रजनन क्षमता और प्रजनन प्राथमिकताएं; परिवार नियोजन; शिशु और बाल मृत्यु दर; मातृ एवं बाल स्वास्थ्य; पोषण; रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल; महिला सशक्तिकरण आदि के संबंध में डेटा प्रदान करता है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर डेटा का महत्वपूर्ण स्रोत है। एनएफएचएस-5 वर्ष 2019-21 के दौरान संचालित किया गया था और इसकी रिपोर्ट 2022 में जारी की गई थी। एनएफएचएस-6 को समय पर शुरू किया गया है। मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) का अनुमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (ओआरजीआई) के कार्यालय द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के परिणामों के आधार पर लगाया जाता है। यह मंत्रालय नोडल एजेंसी के साथ नियमित फॉलो-अप और प्रगति की निगरानी और मध्यवर्ती चरणों की देखरेख के लिए उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन करके

एनएफएचएस डेटा का समय पर और पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करता है। पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करने के लिए, एनएफएचएस के फैक्टशीट और रिपोर्ट में एनएफएचएस का पृथक्कृत डेटा, आमतौर पर एनएफएचएस के लिए यूनिट स्तर के डेटा के साथ जारी किया जाता है। नीति निर्माताओं को डेटा का समय पर और पारदर्शी प्रसार सुनिश्चित करके, मंत्रालय ने इन जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य परिणामों को सुधारने के लिए प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) कार्य-नीति के तहत कई पहलों को लागू किया है। इन प्रमुख कार्यक्रमों/पहलों में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), लक्ष्य कार्यक्रम, प्रसूति स्थल, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी), मिडवाइफरी सेवा पहल, पोषण अभियान आदि शामिल हैं।

*****